



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2015/पौष 17, 1936

No. 11]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2015/PAUSA 17, 1936

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 के साथ पठित उप-धारा (1) और उप-धारा (2) उसके और धारा 30 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण (न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्य वाक्य: विनियम का उद्देश्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अनुच्छेद 28 में प्रदत्त शास्ति अधिरोपण से पूर्व जांच प्रक्रिया की पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराना है।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;
(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
(ग) "पदाभिहित सदस्य" से प्राधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे अन्वेषण और निगरानी के भारसाधक रूप में पदाभिहित किया जाए;
(घ) "जांच" से अधिनियम की धारा 30 में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है;
(ङ) "व्यक्ति" के अंतर्गत, अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन कोई प्राधिकृत या विधिक व्यक्ति या मध्यवर्ती भी आता है;
(च) "पेशकर्ता अधिकारी" से कोई वृत्तिक या प्राधिकरण की ओर से न्यायनिर्णायक अधिकारी या सदस्य के समक्ष कोई मामला पेश करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं।

3. **जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति**—जब कभी प्राधिकरण की यह राय है कि अधिनियम की धारा 28 से संबंधित जांच करने, न्यायनिर्णयन करने तथा शास्ति की सिफारिश करने के आधार विद्यमान हैं, तो उक्त प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के अपने अधिकारियों में से किसी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।
4. **सूचना का जारी किया जाना और जांच की कार्यवाहियां किया जाना**—(1) अधिनियम की धारा 28 के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए जांच करने में, चाहे किसी व्यक्ति ने उक्त धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमतः, ऐसे व्यक्ति को एक सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी अवधि के भीतर (जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए), से संबंधित इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को जारी की गई प्रत्येक सूचना में उस अपराध या उल्लंघन की, जिसका कि उसके द्वारा किए जाने का अभिकथन किया गया है, प्रकृति उपदर्शित की जाएगी।
- (3) न्याय निर्णायक अधिकारी ऐसे किसी पक्षकार या व्यक्ति को सूचना जारी कर सकेगा जिसकी उपस्थिति, उसकी राय में, जांच में प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए अपेक्षित हो।
- (4) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की तारीख नियत करते हुए एक सूचना जारी करेगा।
- (5) न्यायनिर्णायक अधिकारी, तारीख नियत किए जाने पर, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, ऐसे उल्लंघन या अपराध को, जिसका कि उस व्यक्ति द्वारा किए जाने का अभिकथन किया गया है अधिनियम, नियम या विनियम के उन उपबंधों को, जिनके संबंध में उल्लंघन किए जाने का अभिकथन किया गया है, उपदर्शित करते हुए स्पष्ट करेगा।
- (6) न्यायनिर्णायक अधिकारी, तब उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य, जो वह जांच के लिए सुसंगत समझे, पेश करने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को किसी भावी तारीख तक आस्थगित किया जा सकेगा और ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने में न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्ध नहीं होगा :
- परन्तु उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना और उप-विनियम (4), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई का संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर, अधित्यजन किया जा सकेगा।
- (7) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, इन विनियमों के अधीन जांच करते समय, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी है, ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, समन करने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी।
- (8) यदि कोई व्यक्ति उप-विनियम (4) की अपेक्षानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है या उसमें उपेक्षा करता है या उससे इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच कराने के लिए, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, अग्रसर हो सकेगा।
- (9) प्राधिकरण द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी को जांच करने के लिए किसी निर्देश को और उसके अनुसरण में किसी व्यक्ति को जांच की सूचना जारी किए जाने को अधिनियम की धारा 30 के अधीन जांच का आरंभ किया जाना समझा जाएगा।
5. **जांच का स्थान**—(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच की कार्यवाहियां प्राधिकरण के मुख्यालय में या भारत में स्थित प्राधिकरण के किन्हीं अन्य कार्यालयों में करेगा:
- परन्तु न्यायनिर्णायक अधिकारी प्राधिकरण के एक से अधिक अन्य कार्यालयों में भी, जो वह ऐसी जांच करने के लिए समीचीन और सुविधापूर्ण समझे, जांच की कार्यवाहियां कर सकेगा।
- (2) सदस्य के समक्ष की कार्यवाहियां प्राधिकरण के मुख्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा सदस्य द्वारा विनिश्चय किया जाए, की जाएंगी।
6. **अधिनियम की धारा 30 के अधीन जांच के लिए सूचना या दस्तावेज जारी करने की रीति**—(1) इन विनियमों के अधीन, किसी व्यक्ति पर तामील की जाने वाली प्रत्येक सूचना या उसे परिदत्त किए जाने वाले अन्य दस्तावेज की तामील व्यक्तिगत रूप से की जा सकेगी या उसे रसीद रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या कुरियर सेवा द्वारा उसके निवास-स्थान के पते पर या उसके निवास के अंतिम ज्ञात पते पर या उस स्थान पर, जहां वह कारोबार करता है या अंतिम बार कारोबार करता था या अभिलाभ के लिए वैयक्तिक तौर पर कार्य करता है या अंतिम बार कार्य करता था, भेज सकेगा।
- (2) इसके अतिरिक्त, इसे प्रतिरूप पारेषण के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भी भेजा जा सकेगा। प्रतिरूप पारेषण में एक आवरण पृष्ठ होगा जिसपर प्रेषक के ब्यौरे, विषय, पारेषण की तारीख तथा प्राप्तकर्ता का नाम तथा टेलिफोन नम्बर होगा।

(3) जहां ऊपर निर्दिष्ट पद्धतियों के अधीन सूचना की तामील संभव नहीं है और जहां प्रेषिती का पता नहीं लगाया जा सकता या उसे खोजा नहीं जा सकता, वहां तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश के नियम 20 के अधीन विनिर्दिष्ट साधनों में से किसी एक साधन द्वारा कराई जा सकेगी।

7. **विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार.**—व्यथित व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी या सदस्य के समक्ष या तो स्वयं पेश हो सकता है अथवा एक या अधिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों या विधि व्यवसायियों या अपने अधिकारियों में से किसी को उसका पक्षकथन रखने हेतु प्राधिकृत कर सकता है।

8. **न्यायनिर्णायक अधिकारी के समझ की कार्यवाहियों का जनसाधारण के लिए खुला न होना.**—उस दशा के सिवाय, जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा निर्देश न दे, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से जांच की कार्यवाहियां जनसाधारण के लिए खुली नहीं होंगी। जनसाधारण के लिए कार्यवाहियां खोले जाने का निश्चय लेने में, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को ध्यान में रख सकेगा, अर्थात् :—

(क) क्या जनसाधारण के लिए खोले जाने से किसी पक्षकार को महत्वपूर्ण हानि तो नहीं पहुंचेगी;

(ख) जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराने से विघ्न पड़ने या प्रोत्साहित होने की डिग्री;

(ग) कार्यवाहियों का दक्ष और समुचित संचालन;

(घ) प्राधिकार के स्रोत।

9. **लिखित तर्कों का फाइल किया जाना.**—न्यायनिर्णायक अधिकारी पक्षकारों को उस विषय में तर्कों या दलीलों का टिप्पण ऐसे समय के भीतर, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित में फाइल करने का निदेश दे सकेगा।

10. **न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.**—(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उस व्यक्ति और उपस्थापक अधिकारी की सुनवाई करने के पश्चात् अथवा अपने विवेकानुसार किसी व्यक्ति की परीक्षा करने पर या उस विषय—वस्तु पर किसी विशेषज्ञ की राय पर, यदि इस प्रकार अपेक्षा की जाए, विचार करने के पश्चात् और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों पर विचार करने पर, अधिनियम की धारा 30 के उपबंधों के अनुसार अपचारी व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण किए जाने संबंधी अपनी सिफारिशों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट पदाभिहित सदस्य को प्रस्तुत करेगा।

(2) न्याय निर्णायक अधिकारी, अधिनियम की धारा 28 के अधीन शास्ति की मात्रा की सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए अननुपातिक अभिलाभ या अत्रट्टजु फायदे की रकम, जहां कहीं वह निर्धारणीय हो;

(ख) किसी अभिदाता या अभिदाताओं के समूह को हुई हानि; और

(ग) किसी व्यतिक्रम की पुनरावृत्तीय प्रकृति।

(3) उप—विनियम (1) के अधीन की गई सिफारिश के साथ न्यायनिर्णायक अधिकारी की प्रत्येक जांच रिपोर्ट में अधिनियम के उन उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में व्यतिक्रम हुआ है और उसमें ऐसी सिफारिश के संक्षिप्त कारण भी अंतर्विष्ट होंगे।

(4) प्रत्येक जांच रिपोर्ट और सिफारिश पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) शास्ति अधिरोपण की सिफारिश किए जाने के साथ रिपोर्ट पदाभिहित अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अन्तिम सुनवाई की समाप्ति के इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(6) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जांच की कार्यवाहियां यथाशीघ्र करेगा और उसके समक्ष की कार्यवाहियां उस दशा के सिवाय, जहां पदाभिहित सदस्य द्वारा कोई अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया हो, अधिमानतः जांच आरंभ किए जाने से नब्बे दिन के भीतर समाप्त करेगा।

11. **शास्ति के अधिरोपण की प्रक्रिया.**—(1) अनुपूरक रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित जांच रिपोर्ट और शास्ति, यदि कोई हो, अधिरोपित करने संबंधी न्यायनिर्णायक अधिकारी की सिफारिश पदाभिहित सदस्य के समक्ष रखी जाएगी, जो उसे किसी अन्य सदस्य को, अधिमानतः पदाभिहित सदस्य से ऐसी जांच रिपोर्ट और सिफारिश प्राप्त होने के इक्कीस दिन के भीतर अधिनियम की धारा 30 की उप—धारा (3) के अनुसार उस पर विचार करने तथा शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आदेश करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(2) ऐसे सदस्य द्वारा शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर और जांच रिपोर्ट की प्रति दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। जहां प्रभावित व्यक्ति सदस्य के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा सकेगा।

(3) वह सदस्य अधिनियम की धारा 30 की उप—धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे, अधिरोपित किए जाने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु वह सदस्य लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट या की गई सिफारिशों के निष्कर्षों की पुष्टि करने, उनमें फेरफार करने या उपांतरण करने संबंधी कोई अन्य आदेश पारित कर सकेगा या प्राधिकरण को उस मामले में नए सिरे से जांच किए जाने की सिफारिश कर सकेगा:

परन्तु यह और कि वह सदस्य न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के भागरूप किन्हीं तथ्यों या साक्ष्य का पुनर्विलोकन नहीं करेगा, सिवाय उस दशा के जहां सदस्य का यह निष्कर्ष है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच रिपोर्ट तैयार करते समय उसके समक्ष रखे गये किन्हीं सुसंगत तथ्यों या साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा हो।

12. जांच रिपोर्ट और शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी आदेश की सूचना.—प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अधिकारी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विनियम 6 के उप-विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट प्रेषण की अन्य पद्धतियों द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी की जांच रिपोर्ट की तथा सदस्य द्वारा ऐसे आदेश की एक प्रमाणित प्रति सदस्य द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर भेजेगा। रिपोर्ट और आदेश या उसके उद्धरणों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सकेगा या प्राधिकरण उसे मीडिया में, यदि वह लोकहित में ऐसी वांछा करे, प्रकाशित करा सकेगा किन्तु इसमें वह संबंधित व्यक्तियों की कारबार संबंधी गोपनीयता को ध्यान में रखेगा और वेबसाइट पर उसे प्रदर्शित किए जाने या मीडिया में उसका प्रकटन किए जाने में आदेशों या विनिश्चयों के उन भागों को, जो वह ठीक समझे, हटाने का निदेश दे सकेगा।

(2) इसके अतिरिक्त, जांच रिपोर्ट तथा उस पर के आदेश की प्रमाणित प्रतियां ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, पक्षकारों को उपलब्ध करायी जाएगी।

13. अपील के लिए उपबंध.—न्यायनिर्णायक अधिकारी की जांच रिपोर्ट और सदस्य द्वारा शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम की धारा 36 के अनुसार की जा सकेगी।

14. जानकारी मांगने की न्यायनिर्णायक अधिकारी शक्ति.—(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, किसी कार्यवाही में उसके द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पूर्व किसी समय, किसी भी पक्षकार से या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी उचित समझे, ऐसे दस्तावेज या अन्य तात्विक सामग्री, जो न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाए, पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, साक्षियों को समन करने, किसी दस्तावेज या साक्ष्य में पेश किए जाने योग्य अन्य तात्विक सामग्री को पेश करने, किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने, प्राधिकरण के किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में पुस्तकों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों या सूचना की, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए सुसंगत समझे, परीक्षा करने का निदेश दे सकेगा।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, किसी भी समय किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा और शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकेगा या उसकी परीक्षा करा सकेगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्षियों या दस्तावेजों की, जहां आवश्यकता समझा जाए, परीक्षा के लिए कमीशन भी निकाल सकेगा।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा, इन विनियमों के अधीन प्रयोग की जानेवाली सभी शक्तियां, यथास्थिति, प्राधिकरण या सदस्य की किन्हीं अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस सदस्य द्वारा भी, उसके समक्ष की कार्यवाहियों में, प्रयोग की जा सकेंगी।

15. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया का अवधारण करने की शक्ति.—प्राधिकरण, ऐसी किसी स्थिति में, जो इन विनियमों में उपबंधित नहीं हैं, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी विशिष्ट मामले में प्रक्रिया का अवधारण कर सकेगा।

16. जांच कार्यवाहियों की भाषा.—जांच कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा उन विशेष मामलों को छोड़कर अंग्रेजी होगी जहां कि व्यथित पक्षकार या साक्षी या जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी व्यक्ति को हिन्दी में संबोधित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

17. समय की संगणना.—(1) जहां किसी दिन विशेष की तारीख से किसी समयावधि का जिसके भीतर किसी कार्य या घटना का इन विनियमों के अधीन किया जाना विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात है, वहां ऐसे करने के समय की संगणना, उक्त दिन को या उस कार्य या घटना के दिन को, जिससे समय चलना आरम्भ होता है, छोड़कर की जाएगी।

(2) जहां किसी कार्य को करने या कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात समय उस दिन को समाप्त होता है, जिसको प्राधिकरण का कार्यालय बंद होता है तो वह कार्य या कार्यवाही उस दिन से, जिसको वह कार्यालय बंद है ठीक अगले दिन को किया जा सकेगा या ग्रहण की जा सकेगी।

18. अननुपालन का प्रभाव.—इन विनियमों की किसी अपेक्षा का पालन करने में असफल रहने से कोई कार्यवाही केवल ऐसी असफलता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि पदाभिहित सदस्य का मत यह न हो कि ऐसी असफलता के परिणामस्वरूप घोर अन्याय हुआ है।

हेमंत जी. कान्हेकर, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 203 / 14]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**(Procedure for Inquiry By Adjudicating Officer) Regulations, 2015****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2015

No: PFRDA/12/RGL/139/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (q) of sub-section (2) thereof and section 30 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for inquiry by adjudicating officer) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

The regulation aims to provide for a transparent mechanism of conducting an inquiry, prior to imposition of penalty, as provided under Section 28 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed by the Authority as adjudicating officer under sub-section (1) of section 30 of the Act;

(c) "designated member" means a member of the Authority, who is designated as incharge of investigation and surveillance;

(d) "inquiry" means the inquiry referred in section 30 of the Act;

(e) "person" shall include any natural or juristic person or intermediary under the National Pension system or any other pension scheme, governed by the provisions of the Act;

(f) "presenting officer" means a professional or an officer of the Authority appointed by the Chairperson to present a case on behalf of the Authority before the adjudicating officer or the member.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of adjudicating officer for holding inquiry.— Whenever the Authority is of the opinion that there are grounds for holding an inquiry, adjudging and recommending penalty under section 28 of the Act, it may appoint any of its officers not below the rank of Chief General Manager to be an adjudicating officer for holding an inquiry for the said purpose.

4. Issuance of notice and holding of inquiry proceedings.—(1) In holding an inquiry for the purpose of adjudging under Section 28 of the Act as to whether any person has contravened any of the provisions of that section, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fourteen days from the date of service thereof) as to why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-regulation (1) to any such person shall indicate the nature of offence or contravention alleged to have been committed by him.

(3) The Adjudicating Officer may issue notice to any other party or person whose presence may in his opinion be required for an effective adjudication in the inquiry.

(4) If after considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his authorised representative.

(5) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention or offence, alleged to have been committed by such person indicating the provisions of the Act, rules or regulations in respect of which contravention is alleged to have taken place.

(6) The adjudicating officer shall then give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Evidence Act, 1872 (11 of 1872):

Provided that notice referred to in sub-regulation (4), and the personal hearing referred to in sub-regulations (4), (5), and (6) may, at the request of the person concerned, be waived.

(7) While holding an inquiry under this regulation, the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(8) If any person fails, neglects or refuses to appear, as required by sub-regulation (4), before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(9) A direction for inquiry to the adjudicating officer by the Authority, and issuance of notice of inquiry proceedings pursuant thereto to any person, shall be deemed to be the commencement of an inquiry under section 30 of the Act.

5. Place of inquiry.- (1) The adjudicating officer shall hold the inquiry proceedings at the head office of the Authority or any other offices of the Authority in India:

Provided that the adjudicating officer may also hold the inquiry proceedings at more than one of other offices of the Authority as may be deemed to be expedient and convenient for conducting such inquiry.

(2) The proceedings before the member shall be held at the head office of the Authority or such other place as may be decided by the member.

6. Manner of issuance of notice or documents for inquiry under section 30 of the Act.- (1) Every notice or other document required to be served on or delivered to any person, under these regulations, may be served personally or sent by registered post with acknowledgment due, or by speed post or by courier service at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain.

(2) Additionally, this may also be sent through facsimile transmission or by electronic mail. The facsimile transmission shall contain a cover page giving details of the sender, the subject, date of transmission, and the recipient's name and telephone number.

(3) Where the service of notice is not possible under the above referred modes and where the addressee cannot be found or is not traceable, the service may be effected by any of the means specified under Rule 20 of Order V of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

7. Right of legal representation.- The aggrieved persons may either appear in person or authorise one or more chartered accountants or company secretaries or cost accountants or legal practitioners or any of its officers to present his or its case before the adjudicating officer or the member. The Authority may appoint a presenting officer or any other suitable professional mentioned in this regulation, to present its case.

8. Proceedings before adjudicating officer not to be open to public.- Except where the adjudicating officer may so direct, for reasons to be recorded, the inquiry proceedings shall not be open to public. In taking the decision to open the proceedings to public, the adjudicating officer may take into account all or any of the following matters namely: -

- (a) whether disclosure to public does not cause significant harm to a party;
- (b) degree of inhibition or encouragement in providing information in public;
- (c) efficient and proper conduct of proceeding;
- (d) resources of the Authority.

9. Filing of written arguments.- The adjudicating officer may direct the parties to file written note of arguments or submissions in the matter within such time as may be specified by the adjudicating officer.

10. Submission of report by adjudicating officer.- (1) The adjudicating officer shall after hearing the person and the presenting officer or upon examining any person at his discretion or after considering any expert opinion on the subject-matter, if so required, and upon consideration of the documents and evidences submitted by the parties, submit his inquiry report to the designated member together with his recommendations on imposition of the penalty on the delinquent person in accordance with the provisions of section 30 of the Act.

(2) While recommending the quantum of penalty under section 28 of the Act, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-

- (a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;
- (b) the amount of loss caused to a subscriber or group of subscribers; and
- (c) the repetitive nature of any default.

(3) Every inquiry report of the adjudicating officer along with the recommendation made under sub-regulation (1) shall specify the provisions of the Act in respect of which default has taken place and shall contain brief reasons for such recommendation.

(4) Every inquiry report and recommendation shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(5) The report alongwith the recommendation of imposition of penalty shall be submitted to the designated member within twenty-one days of the conclusion of the final hearing by the adjudicating officer.

(6) The adjudicating officer shall hold the inquiry proceedings expeditiously and shall conclude the proceedings before him preferably within a period of ninety days from the initiation of inquiry proceedings excepting where designated member has directed to submit a supplementary report.

11. Procedure for imposition of penalty.- (1)The inquiry report alongwith supplementary report, if any, and the recommendation for imposition of penalty, if any, of the adjudicating officer shall be placed before the designated member, who shall forward it to any other member for his consideration and passing the order of imposition of penalty in accordance with sub-section (3) of section 30 of the Act preferably within twenty-one days of the receipt of such inquiry report and recommendation from the designated member.

(2) No order imposing the penalty shall be passed by the member, without giving an opportunity of hearing to the affected person alongwith a copy of the inquiry report. Where, the affected person fails to appear before the member, the order imposing penalty may be passed *ex parte*.

(3) The member may pass an order imposing the penalty as he may deem fit having regard to the provisions of sub-section (2) of section 30 of the Act:

Provided that the member may pass any other order confirming, varying or modifying the findings in the inquiry report or the recommendations made by the adjudicating officer or may recommend to the Authority for a fresh inquiry in the matter, for reasons to be recorded in such order:

Provided further that the member shall not review any facts or evidence, forming part of the inquiry report submitted by the adjudicating officer, except where the member finds that the adjudicating officer has failed to appreciate any relevant facts or evidence placed before him while formulating the inquiry report.

12. Communication of the inquiry report and order imposing penalty.- (1) An officer of the Authority authorized by it, shall communicate by registered post or by other modes of dispatch as specified in sub-regulation (1) of regulation 6, a certified copy of the inquiry report of the adjudicating officer together with the order passed by the member, within fifteen days of passing of such order by the member. The report and the order or its excerpts may be displayed on the web site of the Authority or the Authority may cause publication of the same in the media if it so desires in the interest of public, but shall have regard to the business secrets of the persons concerned and may direct deletion of such portions of the orders or decisions from the display on the website or publication thereof in the media, as it deems fit.

(2) Further, certified copies of the inquiry report and the order thereon shall be made available to the parties upon payment of such fees as may be specified.

13. Provision for appeal.- Any appeal against the inquiry report of the adjudicating officer and the order imposing penalty passed by the member may be made in accordance with section 36 of the Act.

14. Power of adjudicating officer to call for information.- (1) The adjudicating officer may, at any time before submitting his inquiry report in a proceeding, require any of the parties or any other person whom the adjudicating officer considers appropriate, to produce such documents or other material objects as may be deemed necessary for the purpose of adjudication.

(2) The adjudicating officer may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an officer of the Authority the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person, which the adjudicating officer considers relevant for the purpose.

(3) The adjudicating officer, may at any time, summon and enforce the attendance of any person and examine him, or cause him to be examined on oath.

(4) The adjudicating officer may also issue commissions for examination of witnesses or documents where, deemed necessary.

(5) All the powers exercised by the adjudicating officer, under these regulations may without prejudice to any other powers of the Authority or the member, as the case may be, may also be exercised by such member, in the proceedings before him.

15. Powers to determine procedure in certain circumstances.—In a situation not provided for in these regulations, the Authority may, for reasons to be recorded in writing, determine the procedure in a particular case.

16. Language of the inquiry proceedings.—The language used in the inquiry proceedings shall be English, excepting in some special cases where the aggrieved party or witnesses, or any person connected with the inquiry proceedings shall be permitted to address in Hindi.

17. Computation of time.—(1) Where a period of time dates from a given day, any act or event specified by or allowed under these regulations to be done, the time for doing the same shall be reckoned exclusive of the said day, or of the day of the act or event, from which the time runs.

(2) Where the time specified by or allowed under these regulations for doing an act or taking a proceeding expires on a day on which the office of the Authority is closed, the act may be done or the proceeding may be taken on the first day following the day on which that office is closed.

18. Effect of non-compliance.—Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding, merely by reason of such failure, unless the designated member is of the view that such failure has resulted in the miscarriage of justice.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./203/14]